

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी अमिता मान (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 04 / 2020

दायर दिनांक 06.03.2020

शंकरलाल	उनवान	
	बनाम	रज्जाक

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक : 13.07.2023

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, अतः सहमति से नोट प्रेस किया जावे। अतः वकील वादी के निवेदन अनुसार वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अमिता मान)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी अमिता मान (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 61 / 2016

दायर दिनांक 06.09.2016

	उनवान	
मांगी	बनाम	मुन्नी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 15.06.2023

—:निर्णय:—

पत्रावली तलबी प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर वाद विद्धों की जाने का अनुरोध किया जाने पर पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के तहत आयोजित शिविर दिनांक 15.06.2023 ग्राम पंचायत आकोला में प्रस्तुत हुई। वादी उपस्थित आए एवं वाद विद्धों करने का निवेदन कर सहमति के हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार ने की। अतः वादी एवं वकील वादी के निवेदन अनुसार वाद विद्धों किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम हो।

(अमिता मान)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर